संख्याः 2592/38–7–2008–351एनआरईजीए/2008

प्रेषकः
रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 दिनांकः 31 अक्टूबर, 2008

fo"k;& राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना– उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत '' जीवन ज्योति परियोजना'' (डीजल जेट्रोफा एवं करंज पौधों का वृक्षारोपण) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थायी स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उद्देश्य से '' जीवन ज्योति परियोजना'' (डीजल जेट्रोफा एवं करंज पौधों का वृक्षारोपण) क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगेः–

1- ;kstuk dk uke %

इस योजना को ''जीवन ज्योति'' परियोजना के नाम से क्रियान्वित किया जायेगा।

2- ;kstuk dk Lo:i vkSj mn~ns'; %

प्रदेश में स्थायी स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या– 578/35–1–2008/नियोजन अनुभाग–1 दिनांक 25 मार्च, 2008 द्वारा उ0प्र0 सरकार ने पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कम्पनी/कम्पनियों के साथ मिलकर उ0प्र0 बायो डीजल वैल्यू चेन विषयक परियोजना का संचालन करने

का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के ऊसर, परती, बंजर एवं कृषि हेतु पूर्णतया अनुपयोगी भूमि पर बायोडीजल, जेट्रोफा एवं करंज रोपण का प्रोत्साहन किया जाना है।

3- ujsxk ds izkfo/kkuksa ls vkPNknu %

यह कार्य भारत सरकार के राज–पत्र संख्या 2311 दिनांक 06 मार्च, 2007 की अनुसूची–1 के पैरा–I में उपपैरा–IV के अन्तर्गत किया जा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना की मार्गनिर्देशिका (यथा संशोधित वर्ष 2000) के प्रस्तर–6.1. 1(4) के अनुरूप वर्णित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि/क्षेत्र का भी चयन इस कार्य हेतु किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त सामुदायिक भूमि एवं वन क्षेत्र में भी यह कार्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा सकता है।

4- ;kstuk ds vuqeU;rk %

2– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–उत्तर प्रदेश के अनतर्गत निम्न प्रकार की भूमि पर इस योजना को क्रियान्वित करने की अनुमन्यता है।

- ग्राम पंचायत की ऊसर, परती एवं बंजर भूमि एवं कृषि हेतु पूर्णतया अनुपयोगी भूमि। इस प्रकार की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं अथवा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य किया जा सकता है।

5- ykHkkFkhZ ds p;u dh izfdz;k %

ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत अपनी स्वयं की भूमि पर चयनित प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करेगी तथा सामुदायिक भूमि एवं वन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कार्य करने की दशा में स्वयं सहायता समूहों से आवेदन प्राप्त किया जायेगा। पात्र लाभार्थियों के चयन तथा पौध रोपण हेतु इन लाभार्थियों द्वारा धारित भूमि के निर्धारण/क्षेत्र चयन के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश उद्यानीकरण से संबंधित प्रावधान यथावत लागू होंगे। आवेदन पत्र कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लाईन विभाग को भी दिया जा सकता है।

6- dk;Z ;kstuk@izkstsDV cukus o Lohd`fr dh izfdz;k %

''जीवन ज्योति'' योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के 30 जनपद चिन्हित किये गये हैं। इन जनपदों में अन्य जनपदों की तुलना में जेट्रोफा प्लान्टेशन के लिए

अधिक मात्रा में आकृशक भूमि उपलबध है। योजना का क्रियान्वयन जिन 30 जनपदों में प्रारम्भ किया जाना है उनका विवरण तथा जनपदवार संलग्नक–1 पर है।

जेट्रोफा वृक्षारोपण :

वृक्षारोपण का उचित समय 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक का है। वृक्षारोपण हेतु बायोइनर्जी मिशन, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्य नर्सरियों में रू0 2.50 प्रति पौध की दर से पौध क्रय कर प्रति एकड़ 1000 पौध अथवा प्रति हेक्टेयर 2500 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। इसके अन्तर्गत लाईन से लाईन की पूरी 8 फीट एवं पौध से पौध की दूरी 5 फीट रखनी होगी। पौध लगाने हेतु गड्ढे की खुदाई 9′′x 9′′x 9′′ के मान रूप में करने के उपरान्त आवष्यक इनपुट के रूप में कम्पोस्ट, माइक्रोराइमा तथा अन्य आर्गेनिक इनपुट मान्य मात्रा में गड्ढें में डालने के उपरान्त पौध का रोपण किया जायेगा। प्रति पौध 750 ग्राम से 1.250 कि0ग्रा0 तक सड़ी हुई गोबर की खाद तथा अन्य आवशयक इनपुट जैसे माइक्रोराइजा इत्यादि 120 पीपीएम तक गड्ढे में डालने के उपरान्त जेट्रोफा का कम से कम ढाई फीट ऊँचा पौधा (कम से कम 6 माह पुराना) रोपित किया जायेगा। उक्त वर्णित अवधि के दौरान वृक्षारोपण करते समय मात्र शुरू में सिंचाई की जरूरत होगी।

अच्छी फसल हेतु जेट्रोफा को मात्र प्रोटेक्टिव इरीगेशन की आवश्यकता होगी। वृक्षारोपण के उपरान्त आगामी फरवरी–मार्च में पौधे की आवश्यक छंटाई करनी होगी। छंटाई करते समय जमीन से 2.5 फीट–3 फीट की ऊंचाई से छंटाई करना सबसे उपयुक्त होगा। छंटाई की यह प्रक्रिया द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष भी फरवरी–मार्च में करनी होगी। ऐसा करने से प्रत्येक पौध पर 70–110 शाखाएं विकसित हो जायेगी जिनसे तृतीय वर्ष तथा आगे प्रति पौध औसतन 2.50 से 3.00 किग्रा0 जेट्रोफा बीज प्राप्त होगा। छंटाई के दौरान प्राप्त मजबूत टहनियों का प्रयोग भविष्य में रोपण सामग्री के रूप में किसान प्रयोग में ला सकता है। इसके लिए उसे चयनित टहनी को नमी वाले स्थान पर कलम के रूप में रोपित करना होगा।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जेट्रोफा फल को धूप में सूखा कर देशी विधि (जैसे डण्डे से पीट कर) अथवा मैकेनिकल उपकरण से फल से बीज को अलग किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार प्राप्त बीज कम्पनी के क्रय केन्द्र तक बिक्री हेतु किसान/पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जेट्रोफा की प्रति हेक्टेयर एकड़ लागत इकाई लागत का मानक संलग्नक–3 पर है। जेट्रोफा प्लाण्टेशन एक श्रमसाध्य कार्य है और यह अनुमानित है कि प्रति एकड़ 58 श्रम दिवस सृजित होंगे। ग्राम सभा/पंचायत की भूमि पर किये जाने वाले पौधरोपण के क्रम में ग्राम पंचायत व बीपीसीएल/पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों की सहयोगी कम्पनी के मध्य संलग्न प्रारूप पर अनुबन्ध किया जायेगा। मानक अनुबन्ध संलग्नक–2 पर है।

जेट्रोफा की फसल तैयार होने पर कम्पनी सीधे पंचायत से क्रय कर सकेगी। जेट्रोफा बीज के मूल्य का निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। आय का वितरण ग्राम पंचायत, कम्पनी के मध्य 50:50 के अनुपात में किया जायेगा। प्लाण्टेशन से प्राप्त होने वाले कार्बन केडिट का लाभ पंचायत तथा कम्पनी द्वारा समानुपातिक रूप में प्राप्त होगा। जीवन ज्योति योजना को लागू किये जाने हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत सीापित ''बायो इनर्जी मिशम'' को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इनके द्वारा इस संबंध में विस्तृत तकनीकी, मार्ग निर्देश, प्रशिक्षण, समस्त बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था की जायेगी।

7- Q.M QykS dk fooj.k%

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश–2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का स्थानांतरण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थी के खेतों पर कार्य कराएगी। लाभार्थी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं भी मजदूरी की जा सकती है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा।

8- सामग्री की व्यवस्था:

इसके अन्तर्गत श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध/रोपण सामग्री, आवश्यक इनपुट तथा अन्य तकनीकी ज्ञान सम्बन्धित लाभार्थी, समूह तथा पंयायत को उपलब्ध कराना नोडल एजेन्सी का दायित्व होगा।

9- तकनीकी पर्यवेक्षण:

इस परियोजना के अंतर्गत तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी कृषि विभाग/उद्यान विभाग/वन विभाग/बायो इनर्जी मिशन (नियोजन विभाग) की होगी।

10- रिपोर्टिंग व अनुश्रवण की व्यवस्था:

कार्यक्रम से जुड़ी पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों के प्रतिनिधि द्वारा बायो इनर्जी मिशन के नेतृत्व में योजना की समय–वद्ध मानिटरिंग की जायेगी। इसके अलावा सम्बन्धित मानिटरिंग रिपोर्ट जनपदवार कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा राज्य स्तर पर बायो इनर्जी मिशन को प्रत्येक फसल के अन्त में समय–वद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 3 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों की शत–प्रतिशत अनुश्रवण किया जायगा। उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों पर की गई मॉनिटरिंग के निष्कर्षों के अभिलेख संबंधित स्तर पर अनिवार्यतः रखे जायेंगे। परियोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जायेगी।

11- लाभार्थी का दायित्व व अधिकार:

लाभार्थी क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगा। ऐसे लाभार्थी जो कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, वे स्वयं के द्वारा धारित भूमि पर स्वयं भी कार्य कर सकेंगे। लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी। पौधों के अनुरक्षण का कार्य

सम्बन्धित लाभार्थी/स्वंय सहायता समूहों द्वारा की जायेगी। इस हेतु तकनीकी मार्ग निर्देश बायो इनर्जी मिशन द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

12- **xzke iapk;r ds nkf;Ro %**

ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। चयनित लाभार्थियों द्वारा वांछित कार्य की कार्य योजना तैयार कराएगी। ग्राम पंचायत नोडल एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करेगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक भूमि पर योजना का क्रियान्वयन भी कराएंगी।

13- **{ks= iapk;r ds nkf;Ro %**

ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायतों अपने संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी।

14- **lacaf/kr ykbu foHkkx dk nkf;Ro %**

योजनांतर्गत नोडल एजेंसी/बायो इनर्जी मिशन (नियोजन विभाग) तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा।

कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या–2592 (1)/38–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) आयुक्त, ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
(16) प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
(17) प्रमुख अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश ।
(18) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(19) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(20) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
(21) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
(22) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
(23) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(24) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान जैट्रोफा वृक्षारोपण हेतु जनपदवार प्रस्तावित रकबा :

क्र0 सं0	नाम	प्रस्तावित रकबा (एकड़)
1	अलीगढ़	3000
2	हाथरस	3000
3	मथुरा	5000
4	आगरा	5000
5	फिरोजाबाद	1000
6	एटा	3000
7	मैनपुरी	3000
8	खीरी	1000
9	सीतापुर	1000
10	हरदोई	1000
11	रायबरेली	1000
12	इटावा	1000
13	औरैया	1000
14	कानपुर देहात	1000
15	कानपुर नगर	500
16	जालौन	5000
17	झांसी	5000
18	ललितपुर	5000
19	हमीरपुर	7000
20	महोबा	5000
21	बांदा	10000
22	चित्रकूट	20000
23	फतेहपुर	500
24	प्रतापगढ़	1000
25	सुल्तानपुर	1000
26	बलिया	500
27	गाजीपुर	500
28	चन्दौली	1000
29	मिर्जापुर	3000
30	सोनभद्र	5000
	योग	1,00,000

layXud&2

vuqcU/k

;g vuqcU/k o"kZ 2008 ds ekg-------------dh frfFk---------- dks eSllZ Hkkjr isVªksfy;e dkjiksjs'ku fyfeVsM }kjk LFkkfir TokbaV osapj dEiuh ^^-----------------------------------^^ tks dEiuh vf/kfu;e]1956 ds rgr iathd`r ,d dEiuh gS ,oa ftldk iathd`r dk;kZy;--------------------------------gS¼ ftldks ,rn~i'pkr ^ izFke i{k ^ dgk x;k gS½ }kjk Jh---mDr dEiuh] izFke i{k vkSj xzke iapk;r -----------------------fodkl [k.M------------------tuin------------------ tks la;qDr izkUr iapk;r jkT; vf/kfu;r 1947 ds vUrxZr ,d fuxfer fudk; gS ¼ ftldks ,rn~i'pkr ^ f}rh; i{k dgk x;k gS }kjk Jh------------------------------------mDr xzke iapk;r f}rh; i{k ds e/; fu"ikfnr fd;k x;k gSA

;g fd mRrj izns'k ck;ks Mhty oSY;w pSu ds vUrxZr ck;ks Q~;wy fodkl dk;Zdze dks lqpk: :i ls lapkfyr djus esa iapk;rksa dh lgHkkfxrk ls ih&4 ¼ifCyd&izkbosV] iapk;r&ikVZujf'ki½ fl)kUr ij vk/kkfjr xzkeh.k O;kikj dsUnz dh lksp ds vuq:i LFkk;h vkfFkZd fodkl izkIr djus rFkk vUrjk"Vªh; izfrLi/kkZ dk eqdkcyk djus dh {kerk fodflr dj csgrj mRiknrk vkSj xq.koRrk ds fy, mUur d`f"k mik;ksa dks dk;kZfUor dj iapk;rksa dks muds mRiknksa dk mfpr ,oa c<h gqbZ nj ls ykHk miyC/k djkus ds mn~ns'; ls ,oa ijrh] vd`"; Hkwfe dk lnqi;ksx@mRiknrk c<kus rFkk ÅtkZ ds L=ksrksa dk jk"Vªh; fgr esa nksgu djus gsrq mHk; i{k fuEufyf[kr 'krksZ ,oa izlafonkvksa ds v/khu lger gq, gSA

vr% ;g vuqcU/k vc fuEu lk{kh gS%&

1- jkT; esa izLrkfor ^^ m0iz0 ck;ks Mhty oSY;w pSu ^^ dh LFkkiuk] mlds fodkl rFkk mlds LFkkf;Ro gsrq ck;ks Q~;wy Qly ikS/kk jksi.k ,oa mlls mRiUu cht ds foi.ku bR;kfn s fy, vko';d O;oLFkk;sa lqfuf'pr djukA
2- dk;Zdze ds lapkyu gsrq vko';d rduhdh laKku] mPp xq.koRrk dh jksi.k lkexzh] vko';d buiqV~l tSls [kkn ,oa ekbdzksU;wfVª;sUV ¼mnkgj.kkFkZ ekbdksjkbtk] VªkbdksMekZ½ bR;kfn dh vkiwfrZ ,oa foLrkj lgk;rk miyC/k djkukA
3- cht dz; dsUnzksa dh LFkkiuk djukA

4- ’kklu }kjk fu/kkZfjr eY; ds vk/kkj ij ck;ksMhty chtks dk dz; djuk ,oa mldk rRdky Hkqxrku lqfuf’pr djukA

5- dkcZu ØsfMV ls izkIr gksus okys ykHk dks lekuqikfrd rjhds ls iapk;r dks gLrkUrfjr djukA

¼II½ f}rh; i{k dk nkf;Ro%&

f}rh; i{k dk nkf;Ro fuEu gksxk%&

1- Hkwfe iazcU/k lfefr dh cSad dj ck;ksQ~;wy Qlyksa ds mRiknu gsrq iz;Lrko ikfjr dj xzke lHkk dh Hkwfe e; [kljk Uk0&----------------jdck-----------------,oa fLFkfr tks ijrh ,oa vd”; gks] dks fpfUgr djuk rFkk ck;ksQ~;wy Qly jksi.k gsrq vkjf{kr djukA

2- ck;ksQ~;wy Qly ls izkIr cht dks dz; dsUnz rd igqpkus dh O;oLFkk vius O;; ij djukA

3- mRiknu foØs; ls izkIr ykHkka’k dks xzke fuf/k esa tek djuk rFkk mldk ys[kk iazcU/ku lqpk: :i ls djukA

4- ;fn ckt kj ekax ds vuqlkj fdlh vU; Qly dh vUrj% d`f”k dh tkrh gS rks bl gsrq Hkh Hkwfe iazcU/k lfefr dh lgefr izkIr djukA vUrj% d`f”k mRiknksa dh fcØh ls izkIr ykHkka’k Hkh xzke fuf/k esa tek djuk rFkk mldk ys[kk iazcU/ku lqpk: :i ls djukA

5- dkcZu ØsfMV ls izkIr gksus okys jktLo dks xzke fuf/k esa tek djuk rFkk mldk ys[kk iazcU/ku lqpk: :i ls djukA

¼III½ mHk; i{k dk nkf;Ro%&

nksuksa i{k fuEukuqlkj lger gS%&

1- vuqcU/k dh vof/k%&

vuqcU/k dh vof/k 15 o”kZ gksxh nksuksa i{kksa dh lgefr ls bl vuqcU/k esa mfYyf[kr ’krksZa ds v/khu 15&15 o”kZ gsrq nks ckj c<+k;k tk ldrk gS ysfdu dqy vof/k 45 o”kZ ls vf/kd ugha gksxhA

2- mRikn dk eY; fu/kkZj.k%&

ck;kQ;y Qlyk ls mRikfnr cht dk eY; fu/kkj.k ml o"k ?kksf"kr U;wure leFkZu eY; ds vk/kkj ij fd;k tk;sxkA cht dk U;wure leFkZu eY; ml o"kZ Hkkjr ljdkj }kjk ?kksf"kr ck;kMhty eY; ds vk/kkj ij fd;k tk;sxkA ;g eY; fdlh Hkh gkyr esa ck;kMhty ds ?kksf"kr eY; ds lkis{; 20 izfr'kr ls de ugha gksxkA orZeku esa ;g eY; :0 6-00 izfr fdyksxzke gSA blesa dkcZu dzsfMV ls izkIr gksus okys ykHkka'k dks Hkh lekuqikfrd rjhds ls lfEefyr fd;k x;k gSA ^^cht dk U;wure leFkZu eY;^^ dk fu/kkZj.k dsf"k mRiknu vk;qDr m0iz0 'kklu dh v/;{krk esa xfBr lfefr }kjk fd;k tk,xkA

3- Qkykssvi ,oa ekfuVfjax%&

dk;Zdze dks lqpk: :i ls lapkfyr djus gsrq f}rh; i{k }kjk Hkkfe iczU/k lfefr dh cBd o"kZ esa de ls de nks ckj vk;ksftr dh tk;sxhA bl cBd esa Hkkfe iczU/k lfefr ds fu;fer lnL;ksa ds vykok izFke i{k dks Hkh lfEefyr fd;k tk;sxkA vko';drkuqlkj ;g cBd dk;Zdze dh mi;ksfxrk ,oa egRo dks n[krs gq, dHkh Hkh cqykbZ tk ldrh gSA

4- lqyg 0;oLFkk ¼vkfcZVs'ku½%&

nksuksa i{kksa esa fdlh Hkh fookn dh fLFkfr izkIr gksus ij fuLrkj.k vkfcZVs'ku ,oa dfUlfy,'ku vf/kfu;e] 1996 }kjk vuqeU; izfdz;k ds vUrxZr gh fd;k tk;sxkA orZeku izdj.k esa bl 0;oLFkk gsrq lcf/kr tuin ds ftykf/kdkjh dh v/;{krk esa lqyg 0;oLFkk dh izfdz;k iz.kkfor dh x;h gSA

mijksDr ds lk{; esa nksuksa i{kksa us Åij vfdr frfFk dks fuEufyf[kr xokgksa ds le{k ;g vuqcU/k fu"ikfnr dj fn;k x;k gSA

izFke i{k	f}rh; i{k
¼phQ eSusftx Mk;jsDVj@eSusftx Mk;jsDVj½	¼xzke iapk;r@iapk;rksa ds iz/kku½
dEiuh dh vksj ls xokg&	xokg&
1&gLrk{kj uke& LFkk;h irk ¼LFkk;h irk ds lEcU/k esa izek.k i=½	1& gLrk{kj ¼xzke iapk;r fodkl vf/kdkjh½ uke&
2&gLrk{kj	

uke&

LFkk;h irk

¼LFkk;h irk ds lEcU/k esa izek.k izfr½

¼v/;{k@xzke fodkl vf/kdkjh½

uke&